

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक - / / 2023 ई०।

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत पलामू जिलान्तर्गत नावाडीह कला में टी०ओ०पी० भवन निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1,46,38,100/- (एक करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 391/टी०एस०, दिनांक 13.06.2023 के द्वारा राज्य स्कीम के तहत पलामू जिलान्तर्गत नावाडीह कला में टी०ओ०पी० भवन निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1,46,38,100/- (एक करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार एक सौ रुपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची द्वारा अनुमोदित नक्शा, तकनीकी प्रतिवेदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) समर्पित किया गया है। प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर झारखण्ड अनुसूचित दर 28 जुलाई 2022 से प्रभावी/डी०एस०आर० 2021 तथा डी०एस०आर० 2022 (विद्युत) से लागू एवं निगम द्वारा विश्लेषित दर के आधार पर तैयार किया गया है।

3. राज्य स्कीम के तहत पलामू जिलान्तर्गत नावाडीह कला में टी०ओ०पी० भवन निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1,46,38,100/- (एक करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव निम्नरूपेण है :-

S. No.	Description	Amount (Rs.)	
1	Building work	82,29,711.28	
2	Water Supply & Sanitary Installtion work	4,79,822.58	
3	Septic Tank & SoakPit	1,62,946.20	
4	200 x 150 mm dia deep bore well with pump set & electrification etc work.	2,69,898.04	
5	Approach Road (Length 30 M)	2,60,594.69	
6	Concertina coil fencing (600')	4,59,579.64	
7	Rain water harvesting	1,86,434.23	
8	Electrical Installation work	13,16,162.23	
	Total :-	1,13,65,148.89	(A)
9	Add 18% GST on 'A'	20,45,726.80	
	Total :-	1,34,10,875.69	(B)
10	Add 1% Labour cess of 'B'	1,34,108.76	
	Total :-	1,35,44,984.45	(C)
11	Quality control @ 0.5% of 'C'	67,724.92	
12	Tools plants @ 0.5% of 'C'	67,724.92	
	Total :-	1,36,80,434.29	(D)
13	Operational Grant @ 7% of 'D'	9,57,630.40	
	Total :-	1,46,38,064.69	
	Round off :-	1,46,38,100.00	

(एक करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार एक सौ रुपये) मात्र

4. उक्त के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या-1269, दिनांक 21.09.2023 की कंडिका- 1.1 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत पलामू जिलान्तर्गत नावाडीह कला में टी०ओ०पी० भवन निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1,46,38,100/- (एक करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. जमीन की उपलब्धता के उपरांत ही एकरारनामा किया जाएगा। योजना को पूर्ण करने की अवधि 02 वर्षों की होगी। योजना के पूर्ण होने के उपरांत अवशेष राशि (अव्यवहृत राशि) निश्चित रूप से राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

6. राशि का वहन/व्यय राज्य स्कीम बजटशीर्ष-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-67-पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-22S40550020767000545 अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक (DDO Code RNCPOL010), राँची होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची कर राशि JPHCL के PL खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

9. योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय सक्षम स्तर से प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

10. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विषयांकित योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे राशि के निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हों ले कि जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है तथा इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गयी है। किसी प्रकार का अवैध निकासी का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

11. विषयांकित योजना के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची पर होगी।

12. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची योजनाओं का समय-समय पर नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/समीक्षा करेंगे ताकि निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से योजना पूर्ण हो।

13. योजनाओं का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वित्त विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाएगा।

14. योजना का Duplication नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची तथा पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची की होगी।

15. योजना का कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा। Tax (IT/VAT/Service Tax/Royalty) इत्यादि At Source /स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेन्सी किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगी।

16. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राधेश्याम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 03/पु०(रा०यो०)-181/2023/ राँची, दिनांक- / /2023 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 03/पु०(रा०यो०)-181/2023 ...३६६.../ राँची, दिनांक- 04/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि :- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।